3

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज मुकदमा नम्बर – 37/2017 पवनकुमार बनाम प्रभाती लाल वगैरह दावा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी
17.01.2018	पत्रावली पेश हुई । वकील पक्षकारान उपस्थित । प्रतिवादी नम्बर 8,9,16,17,18,22,23,24 की ओर से जरिये वकील प्रार्थना पत्र पेश कर वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 11.01.2018 को खारिज करने का निवेदन किया । प्रार्थना पत्र शामिल मिसल किया गया । वकील पक्षकारान को प्रार्थना पत्र पर सुना गया । वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि वादीगण अपना वाद आगे नहीं चलाना चाहते है । इस कारण वादीगण का दावा को विड्रा करते हुए विड्रा पर खारिज करने का निवेदन किया है । वकील उभय पक्ष ने अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित किया है कि वादी द्वारा गलत रूप से दावा विड्रा का आवेदन किया है जो विड्रा नहीं किया जा सकता । दावे में प्रतिवादीगण काउन्टर क्लेम पेश करेंगे । इसलिए वादी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे । दोनों प्रार्थना पत्रों में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया गया । जिससे प्रार्थीगण वादी का प्रार्थना पत्र पोषणीय होने पर स्वीकार किया जाकर वाद वादीगण विड्रा करने पर वाद वादी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफतर हो । उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू	

Scanned by CamScanner